

**15- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं, विशिष्टियां जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं :-**

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए आने वाले नागरिकों को कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष में बैठाये जाने एवं वांछित अभिलेख दिखाये जाने की व्यवस्था है।